

257

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर(कैम्प रीवा) रीवा

म.प्र.

381



151

निगरानी 1614-II-15

रणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री रामदेव सिंह उम्र 72 वर्ष, निवासी 280,धवारी तह.
रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....निगराकार

बनाम

01. राघवेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री रणजीत सिंह निवासी 280,धवारी वार्ड नं.-34 सतना तह. रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
02. रणेन्द्र प्रताप सिंह तनय श्री रणजीत सिंह निवासी धवारी वार्ड नं.-34 तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
03. संगीता पुत्री श्री रणजीत सिंह निवासी धवारी गली नं.-5 वार्ड नं. 34 तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.
04. कु. सोनिया सिंह पुत्री श्री रणजीत सिंह निवासी धवारी 280 वार्ड नं. -34 तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.....गैरनिगराकारगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्र.क.-01/अपील/2013-2014 दिनांक 06.04.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भूरा.संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार निम्न निगरानी सेवा में प्रस्तुत कर बिनयी है:-

निगरानी के तथ्य

यह कि निगराकार/अपीलान्त ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर सतना के न्यायालय मे एक अपील माननीय तहसीलदार महोदय तहसील रघुराजनगर जिला सतना के आदेश पंजी क.-395 दिनांक 23.07.2013 के बिरुद्ध दायर की थी जिसमें अपीलान्त ने अपने पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा अबैध रूप से खिलाफ कानून वसीयत के होते हुए भी अपने

रणजीत सिंह

//2//

पक्षकारों एवं
आदि के ह. को

173
4.5.15



श्री. मोरदवज सिंह
द्वारा आज दिनांक 4-6-15
प्रस्तुत किया गया।
सदर
मार्केट कोर्ट रीवा

8615

मान्यवर,

निगराकार निम्न निगरानी सेवा में प्रस्तुत कर बिनयी है:-

निगरानी के तथ्य

यह कि निगराकार/अपीलान्त ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर सतना के न्यायालय मे एक अपील माननीय तहसीलदार महोदय तहसील रघुराजनगर जिला सतना के आदेश पंजी क.-395 दिनांक 23.07.2013 के बिरुद्ध दायर की थी जिसमें अपीलान्त ने अपने पुत्र एवं पुत्रियों द्वारा अबैध रूप से खिलाफ कानून वसीयत के होते हुए भी अपने

रणजीत सिंह

//2//

मोरदवज

257

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1614-III/15 जिला सतना

राजश्रीत सिंह विरुद्ध राज्यकेन्द्र दुसाप

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. मोरदवाज सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील दुसाप के प्रकरण क्रमांक 01/श्रीपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	




सदस्य